

विषय:- नवीन अशासकीय महाविद्यालय / नवीन संकाय / पाठ्यक्रम / विषय एवं उत्तरवर्ती कक्षाएँ प्रारंभ करने संबंधी समय-सारणी सत्र 2019-20


(ब) विधि (लों) पाठ्यक्रम के लिए समय-सारणी

क्र०	कार्य विवरण	मार्गदर्शिका में निर्धारित तिथि	समय-सीमा
1	विधि (लों) पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि	05 अक्टूबर 2018 से 15 अक्टूबर 2018 तक	11 दिन
2	समस्त ऑनलाइन आवेदनों के परीक्षणोपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा कार्यालय की संबद्धता शाखा को ऑनलाइन प्रेषित करने की तिथि	10 अक्टूबर 2018 से 22 अक्टूबर 2018 तक	13 दिवस
3	आयुक्त उच्च शिक्षा कार्यालय से कमी-पूर्ति पत्रक जारी करने की तिथि	11 अक्टूबर 2018 से 23 अक्टूबर 2018 तक	13 दिवस
4	कमी-पूर्ति पत्रक के अनुसार आवेदक महाविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन जानकारी प्रेषित करने की तिथि	15 अक्टूबर 2018 से 31 अक्टूबर 2018 तक	17 दिवस
5	समस्त अनापत्ति/निरन्तरता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि	20 अक्टूबर 2018 से 09 नवम्बर 2018 तक	21 दिवस
6	आयुक्त उच्च शिक्षा, म०प्र० के समक्ष ऑनलाइन रिव्यू प्रस्तुत करने की तिथि	12 नवम्बर 2018 से 16 नवम्बर 2018 तक	05 दिवस
7	आयुक्त उच्च शिक्षा म०प्र० के द्वारा रिव्यू प्रकरणों के निराकरण करने की तिथि	19 नवम्बर 2018 से 22 नवम्बर 2018 तक	04 दिवस
8	अस्वीकृत किये गये रिव्यू प्रकरणों को शासन के समक्ष ऑनलाइन अपील करने की तिथि	24 नवम्बर 2018 से 27 नवम्बर 2018 तक	04 दिवस
9	शासन द्वारा अपील पर निर्णय लेने के पश्चात् पात्रतानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि	28 नवम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2018 तक	03 दिवस
10	संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निरन्तरता/संबद्धता आदेश जारी करने की तिथि	12 नवम्बर 2018 से 10 दिसम्बर 2018	29 दिवस

टीप:-

- 30 अप्रैल 2019 के पश्चात् संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा जारी कोई भी प्रकरण में निरन्तरता/संबद्धता आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश की पूर्वानुमति के बिना मान्य नहीं किया जायेगा।
- रिव्यू आवेदन अमान्य करने के पूर्व आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा आवेदक समिति/ट्रस्ट/कम्पनी को कारण बताते हुए अपना पक्ष व अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाएगा।
- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पारम्परिक एवं विधि (लों) पाठ्यक्रमों के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/निरन्तरता आदेश के पश्चात् 05 दिवस के अन्दर संबंधित विश्वविद्यालय में संबद्धता/निरन्तरता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

.....


05/10/18